रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

पंजीकरण सूचना

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा लखनऊ–प्रयागराज मार्ग पर रतापुर चौराहे के निकट कता विहार आवासीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित श्रेणी के रिक्त भवनों का पंजीकरण दिनांक 01.12.2026 से 31.01.2027 तक की अवधि में **(पहले आओ पहले पाओ के आधार पर)** खोला जा रहा है। इन भवनों के पंजीकरण हेतुं पंजीकरण पुस्तिका रु0–500.00 के मूल्य में एच0डी0एफ0सी0 बैंक कचेहरी रोड़, रायबरेली से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तावित भवनों के मूल्य आदि का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

कमांक	निर्माण का विवरण	तल का विवरण	भवनों की संख्या	भवन का निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	भवन का मूल्य	10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि	आय सीमा (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निर्बल आय वर्गीय भवन (एक कमरा, एक किचेन, एक ट्वायलेट, बरामदा/बालक्नी)	भूतल ,	09	27.50	8,88,000.00	88,800.00	3,00,000 तक वार्षिक
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	37	27.50	7,87,000.00	78,700.00	3,00,000 तक वार्षिक
2	अल्प आय वर्गीय भवन (एक ड्राइंग रुम, एक बेड रुम, एक किचेन, एक डब्लू0सी0 एक बाथरुम बरामदा/बालकनी)	भूतल	03	38.60	15,57,000.00	1,55,700.00	3,00,000 से 6,00,000 तक वार्षिक
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	08	38.60	13,75,000.00	1,37,500.00	3,00,000 से 6,00,000 तक वार्षिक
3	अल्प आय वर्गीय भवन (एक ड्राइंग रुमं, एक बेड रुम, एक किचेन, एक डब्लू0सी0 एक बाथरुम बरामदा/बालकनी)	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	05	46.00	16,38,000.00	1,63,800.00	3,00,000 से 6,00,000 तक वार्षिक

पंजीकरण की शर्तें एवं दशायें :–

1. पंजीकरण तथा आवंटन नियमावली में पंजीकरण हेतु जमा धनराशि का चालान/आवेदन प्रपत्र संलग्न है। पंजीकरण धनराशि का भुगतान एच0डी0एफ0सी0 बैंक, कचेहरी रोड़, रायबरेली के माध्यम से करना होगा।
2. योजना से सम्बन्धित तलपट मानचित्र, आवासीय भवनों का प्लान पंजीकरण/आवंटन नियमावली के साथ संलग्न है।
3. आवेदक को पंजीकरण हेतु आवेदन जमा धनराशि की रसीद, सत्यापित फोटों, आई0डी0 आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र सहित निर्धारित तिथि तक प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त नही किए जायेगें।
4. प्राधिकरण की किसी भी योजना के असफल आवेदक यदि इच्छुक है तो अपनी जमा धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि जमा करके एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
5. आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र के रुप में नही माना जायेगा। सक्षम स्तर से ही मान्य होगा।
6. न्यायिक अधिकार क्षेत्र रायबरेली होगा।
7. अन्य विवरण पंजीकरण पुस्तिका में उपलब्ध है।
8. पंजीकरण का विवरण प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं ऑन लाइन भी पंजीकरण भी कराया जा सकता है।

20/11/26

सचिव
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

Scanned with OKEN Scanner